लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2378
उत्तर देने की तारीखः 09.03.2021

हाशिए पर के वर्गों का सशक्तिकरण

2378. श्रीमती नवनित रवि राणाः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, शराब का अत्यधिक सेवन तथा मादक द्रव्य सेवन करने वाले व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भिखारियों, विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) तथा आर्थिक रूप से कमजोर समूहों (ईडब्ल्यूएस) सहित समाज के सामाजिक शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने में सफल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक भिन्न रूप से सशक्त व्यक्ति के लिए सेवाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कल्याण संबंधी प्रयास उन सबसे अधिक गरीब परिवारों की आवश्यकताओं पर केन्द्रित होते हैं जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से समाज के कमजोर व वंचित वर्ग हैं जिनमें अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), वरिष्ठ नागरिकों, मद्यपान और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीडितों, ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों, भिखारियों, विमुक्त और घुमन्त जनजातियों (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को शामिल किया गया है। यह विभाग इन गरीब और वंचित वर्गों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिनके ब्यौरे **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न हैं। सबसे अधिक गरीब एससी परिवारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए, सरकार ने बजट में "अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटन (एडब्ल्यूएससी)" किया है। वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न विभागों के लिए एडब्ल्यूएससी के अंतर्गत 83256.62 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए विभाग-वार आवंटन अनुबंध-II में दिया गया है। सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए किए गए आवंटन को 83,256.62 करोड़ रुपए से 51.65% तक बढ़ाकर 126259.20 करोड़ रुपए कर दिया है। कल्याण के लिए किए गए इस बहु-क्षेत्रीय एवं अंत:-विभागीय आवंटन के परिणामस्वरूप, सरकार इन अनेक गरीब वर्गों की आर्थिक बेहतरी के लिए पर्याप्त योगदान देने में समर्थ है।

(ग) एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन (एआईसी) इस मंत्रालय द्वारा 03.12.2015 को वैश्विक सुगम्यता हासिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान के रूप में शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित उपायों सहित दिव्यांगजनों के जीवन को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एव संचार पारिस्थितिकी-प्रणाली की सुगम्यता को बढ़ाने पर केंद्रित करना है।

i. निर्मित वातावरण के अंतर्गत 1180 पहचानशुदा भवनों को सुगम्य बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 465.49 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इनमें से 356 भवनों को सुगम्य बनाया गया है। सीपीडब्ल्यूडी ने 998 केंद्रीय सरकार के भवनों को सुगम्य बनाया है।

ii. परिवहन प्रणाली के अंतर्गत, क1, क और ख श्रेणी के 709 रेलवे स्टेशनों, सात अल्पावधि सुविधाओं और दो-दीर्घावधि सुविधाओं की व्यवस्था 603 रेलवे स्टेशनों पर की गई है। इसके अलावा, 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 स्वदेशी हवाई अड्डों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया है। 1,47,368 बसों में से, 42,169 बसों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया है और 10,175 बसों को पूर्ण रूपेण सुगम्य बनाया गया है।

iii. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी-प्रणाली के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 584 पहचानशुदा वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है। इसके अलावा, 95 केंद्रीय सरकार की वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है।

*****

अनुबंध -I

लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यक्रम/स्कीमें	2020-21 में बजट आवंटन (करोड़ रुपए में)
1.	एससी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2987.33
2.	एससी तथा ओबीसी के लिए नि:शुल्क कोचिंग	30.00
3.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	700.00
4.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र का सुदृढ़ीकरण	550.00
5.	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	30.00
6.	एससी के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	100.00
7.	अस्वच्छ व्यवसाय में नियोजित व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	25.00
8.	अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1200.00
9.	एससी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	300.00
10.	स्केवेंजरों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी स्व-रोजगार योजना	110.00
11.	एससी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	20.00
12.	एससी के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा	40.00
13.	एससी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	700.00
14.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	200.00
15.	नशीली दवा की मांग में कटौती करने संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना	260.00
16.	भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	100.00
17.	ओबीसी के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	250.00
18.	ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के कौशल विकास हेतु सहायता	50.00
19.	ओबीसी के लिए बालक और बालिका छात्रावास	50.00
20.	ओबीसी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1415.00
21.	विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास संबंधी स्कीम	10.00
22.	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	25.00
23.	ओबीसी के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु ब्याज में सब्सिडी	35.00
24.	ओबीसी और ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	120.00
25.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	180.00
26.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	40.00
27.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	200.00
सकल योग		9727.33

अनुबंध -II

लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के अंतर्गत आवंटन (करोड़ रुपए में)	वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के अंतर्गत आवंटन (करोड़ रुपए में)
1.	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	22212.43	20322.89
2.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	10270.00	9420.68
3.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8300.00	8542.51
4.	ग्रामीण विकास विभाग	7180.00	19258.82
5.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	7154.33	7751.62
6.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	5944.08	4832.40
7.	पेयजल और स्वच्छता विभाग	4728.70	12973.79
8.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	3552.60	1073.19
9.	उच्चतर शिक्षा विभाग	3210.00	3843.00
10.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	1887.67	2092.60
11.	विद्युत मंत्रालय	1637.00	1477.60
12.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	1216.86	712.07
13.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	850.48	911.78
14.	दूरसंचार विभाग	690.81	774.30
15.	पशुपालन और डेयरी विभाग	517.21	518.09
16.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	469.00	469.00
17.	कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय	402.55	371.67
18.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	387.83	233.44
19.	वस्त्र मंत्रालय	376.14	346.01
20.	भूमि संसाधन विभाग	371.62	356.91
21.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	328.52	564.93
22.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	265.77	242.00
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	251.30	218.91
24.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	207.42	223.00
25.	पंचायती राज मंत्रालय	144.04	152.30
26.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	132.80	117.82
27.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	109.00	146.00
28.	मत्स्य पालन विभाग	107.09	169.82
29.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	89.75	99.60
30.	आयुष मंत्रालय	71.00	71.00
31.	कोयला मंत्रालय	68.06	34.85
32.	संस्कृति मंत्रालय	48.00	37.78
33.	खान मंत्रालय	44.58	28.82
34.	वाणिज्य विभाग	25.00	25.00
35.	उपभोक्ता मामले विभाग	4.98	3.70
36.	उर्वरक विभाग	-	6934.50
37.	औषध विभाग	-	32.00
38.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	-	20874.80
	कुल	**83256.62**	**126259.20**

*****